न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 6/2012

श्रीमती रतनी देवी पत्नि श्री प्रेमचन्द जाति बलाई निवासी जुबाडिया मौहल्ला, केकडी, तहसील केकडी, जिला अजमेर।

.....*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार .... *रेस्पोडेन्ट*

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व

अधिनियम 1956

———

उपस्थित :–1. श्री मंगलाराम चौधरी वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक : 18.05.2016

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2068 में श्रीमती रतनी देवी पत्नि श्री प्रेमचन्द जाति बलाई निवासी ग्राम–केकडी ने ग्राम केकडी के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 21 में से 0.64 हैक्टर भूमि पर अनाधिकृत रूप से फसल मुंग व उड़द काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है, इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार केकडी के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूध्द राजस्व प्रकरण संख्या 1095/2011 पंजीकृत किया जाकर बाद सुनवाई के दिनांक 12.10.2011 को आदेश पारित किया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के साथ ही मौके पर खडी फसल को जब्त कर नीलाम करने के आदेश दिये। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 12.10.2011 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में की गई है। पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

इस बिन्दु पर कोई एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय आदेश पारित करने से पूर्व उन्हे व्यक्तिगत रूप से नोटिस तामील नहीं करवाया तथा न ही सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर ही दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका आगे कथन है कि विवादित भूमि साबिक खसरा नम्बर 5/2/1 रकबा 5 बीघा भूमि अपीलान्ट के पति श्री मांगीलाल जाति बलाई को दिनांक 08.06.1985 को आवंटन कर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 22.06.1985 को मौके पर कब्जा अपीलान्ट के पति को सुपुर्द कर नक्शा ट्रेस में पेंसिल से रकबा तरमीम किया गया था, जो पटवारी हल्का की दैनिक डायरी की प्रति दिनांक 22.06.1985 से स्पष्ट है। उक्त आवंटन से अपीलान्ट व उनके पति विवादित भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि विवादित भूमि के आवंटन पश्चात उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त करवाने हेतु नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र न्यायालय कलक्टर, अजमेर के समक्ष इस आधार पर प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि चरागाह थी तथा चरागाह भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता। न्यायालय कलक्टर अजमेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.12.1986 से अपीलान्ट के पति के पक्ष में दिया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया गया तत्पश्चात अपीलान्ट के पति द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत करने पर उन्होंने आदेश दिनांक 30.06.1988 से अपील निरस्त कर दी। तत्पश्चात द्वितीय अपील मानमीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत करने पर मानमीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 29.01.2014 से अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार कर इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की है कि ''इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 21.08.1993 एवं जिला कलक्टर अजमेर द्वारा इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 13.08.1998 के अनुसरण में हस्तगत प्रकरण का निस्तारण किया जावे।'' प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर विचाराधीन है। अनका यह भी कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये मात्र किसी न्यायालय की

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

सील लगाने जैसा बना बनाया सील पर आदेश परित किया है जिससे उक्त आदेश विधिक रूप से निर्णय करने की परिभाषा की परिधि में नहीं आने से निरस्त योग्य है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वाम वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक है तथा अपीलान्ट विवादित भूमि पर बहैसित अतिक्रमी काबिज है जहां तक नियम 14 (4) के अंतर्गत प्रकरण विचाराधीन होने बाबत अपीलान्ट का तर्क है यह मानने योग्य नही है। दोनों प्रकरण अलग–अलग है जिन्हें एक साथ नहीं पढा जा सकता। अपील तहसीलदार ने आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष के वकीलों द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यान पूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज है तथा अपीलान्ट विवादित भूमि पर बहैसियत अतिक्रमी काबिज है। जहां तक विवादित भूमि का अपीलान्ट के पिता के पक्ष में आवंटन होना तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का प्रश्न है। इस संबंध में दोनों प्रकरण अलग–अलग है। अपील के माध्यम से अपीलान्ट को किसी प्रकार का अनतोष नहीं किया जा सकता। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन एंव भारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 18.05.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सारे इजलास सुनाय गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner